

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-415/2012
 संस्थित दिनांक-21.05.2012
 फाईलिंग क्र.234503002042012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// विरुद्ध //

1—मानसिंह धुर्वे पिता स्व. कौणी धुर्वे, उम्र—38 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम संजारी, थाना गढ़ी,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—ठाकुर राम धुर्वे पिता स्व. कौणी धुर्वे, उम्र—39 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी—ग्राम संजारी, थाना गढ़ी,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक-13/07/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-07.05.2012 को करीब 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम संजारी में मानसिंह के घर के सामने रोड किनारे लोकस्थान पर फरियादी शिवनाथ को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत शिवनाथ को खुबे वाली लकड़ी को खतरनाक आयुध के रूप में प्रयोग करते हुए मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-07.05.12 को फरियादी शिवनाथ अपने साडू भाई मानसिंह गोंड के घर ग्राम संजारी रिश्तेदारी में गया था। रात्रि करीब 10:00 बजे आरोपी मानसिंह के घर उसकी मामा बहन सुनीताबाई ग्राम माडमहू आई थी कि उससे आंगन में बात कर रहा था कि तेरी दीदी ने गांव बुलाई है, उतने में उसका साडू भाई आरोपी मानसिंह और उसका बड़ा भाई ठाकुर सिंह

गोंड बस्ती से आए और उसे कहने लगे कि तू हमारे घर आया है और हमारी बहन से मजाक करता है। तेरी माँ-बहन को चोदू साले को जान खत्म कर देते हैं कहकर घर आंगन से धक्का-मुक्की करते हुए रोड किनारे में दोनों ने लकड़ी से मारपीट किये जिससे उसे बाँए आँख की भौं के उपर तथा बाजू में दाहिने तरफ सिर में, पीठ में, बाँए हाथ की भुजा के नीचे, दाहिने हाथ की कलाई में तथा दोनों पैर के घुटने के नीचे चोट आई और खून निकला था। मौके पर उपस्थित सुनीताबाई तथा उसकी साली कान्तीबाई ने तथा आस-पड़ोस के लोगों ने उक्त घटना को देखें हैं। वह बेहोश हो गया था तो उसे पूरन गोंड के लड़के ने अपने घर ले गया था, जहाँ उसे रात्रि 12:00 बजे होश आया था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा दिनांक-08.05.12 को आरोपीगण के विरुद्ध थाना गढ़ी में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-28/2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपीगण ने दिनांक-07.05.2012 को करीब 10:00 बजे थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम संजारी मानसिंह के घर के सामने रोड किनारे लोकस्थान पर फरियादी शिवनाथ को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत शिवनाथ को खुबे वाली लकड़ी को खतरनाक आयुध के रूप में प्रयोग करते हुए

मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3— क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी शिवनाथ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी मानसिंह उसका साडू भाई है और आरोपी ठाकुरराम मानसिंह का ही भाई है। घटना डेढ़ वर्ष पूर्व रात्रि 10-11 बजे की ग्राम संजारी की आरोपी मानसिंह के घर की है। घटना दिनांक को वह आरोपी मानसिंह के बड़े भाई पूरनसिंह के घर मेहमानी में गया था। पूरनसिंह के घर से भोजन करने के उपरांत आरोपी मानसिंह के घर गया था, जहां पर आरोपीगण शराब पी रहे थे, तभी थोड़ी देर बाद उसकी साली कांतीबाई एवं उसके साथ एक और लड़की सुनीताबाई वहां आई, जिनके साथ वह सामान्य बात कर रहा था, तभी बात सुनकर आरोपी मानसिंह हाथ से उसे मारपीट करने लगा। आरोपी मानसिंह का भाई ठाकुरराम आया और वह समझाने लगा। आरोपी मानसिंह ने उस पर शक करने वाली बात आरोपी ठाकुरराम को बताई, तब आरोपी ठाकुरराम और मानसिंह ने लकड़ी से उसे मारपीट की थी, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना पैदल जाकर की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसके तथा आरोपी मानसिंह के बीच विवाद होने पर झूमा-झपटी हुई थी, जिसमें वह और आरोपी मानसिंह गिर गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपीगण गिर गए थे, किन्तु उन्हें चोट नहीं आई थी तथा उसे गिरने से चोट आई थी। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 और उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में घटना दिनांक नहीं बताया है, बल्कि घटना लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व होना बताया है। ऐसी दशा में साक्षी के प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर घटना दिनांक में भिन्नता होना घटना डेढ़ वर्ष

पुरानी होने से स्वाभाविक होना प्रकट होती है, जिसका बचाव पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

7— कांतीबाई (अ.सा.2), परसादी (अ.सा.3), सुनीता (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

8— साक्षी अशोक अग्निहोत्री (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण से एक-एक लकड़ी जप्त किये थे, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 एवं 6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं 8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पुलिस के द्वारा की गई उक्त जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन किया है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार हिरकने (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-08.05.12 को थाना गढ़ी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी शिवनाथ उइके की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक-28/12, धारा-294, 323, 324, 506 बी, 34 भा.द.वि. के तहत सहायक उपनिरीक्षक जी.एल. चौधरी के द्वारा लेख की गई। उक्त अपराध कमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-08.05.12 को कांतिबाई की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी कांतिबाई एवं दिनांक-13.05.12 को साक्षी सुनीता, परसादी आहत शिवनाथ उइके के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-13.05.12 को आरोपी ठाकुर राम से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार साक्षियों के समक्ष एक बांस की लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी मानसिंह से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार एक खुब्बे वाली लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 एवं 8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— अभियोजन की ओर से आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल (अ.सा.1) के अलावा अन्य साक्षीगण ने घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल (अ.सा.1) ने अभियोजन मामलों का उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व पुलिस कथन के अनुरूप समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश की है। उक्त साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है, जिस कारण आरोपीगण द्वारा उसे लकड़ी से मारपीट करने के संबंध में उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में अन्य साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने मात्र से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं होता है।

11— आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण के कथित गाली-गलौज किये जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा घटना के समय कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसके अलावा आरोपीगण के द्वारा कथित रूप से फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव होने से उक्त तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल को लकड़ी से मारपीट कर उपहति कारित की गई है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। उक्त उपहति कारित किये जाने में आरोपीगण के द्वारा लकड़ी को धारदार हथियार या खतरनाक साधन व वेधन के रूप में उपयोग किया जाना प्रकट नहीं होता है, और न ही इस संबंध में अभियोजन ने चिकित्सीय साक्ष्य पेश की है। यद्यपि आरोपीगण के द्वारा आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल को लकड़ी से साधारण उपहति कारित किया जाना प्रमाणित है। मारपीट करते समय आरोपीगण का आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त मारपीट से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण

के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना के समय फरियादी शिवनाथ को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

14— आरोपीगण के द्वारा आहत शिवनाथ उर्फ शिवलाल को खुबे वाली लकड़ी को खतरनाक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाना प्रमाणित नहीं किया है, किन्तु अभियोजन ने यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत शिवनाथ को लकड़ी व बांस के डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के स्थान पर धारा-323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

16— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

17— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा वह मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव प्रत्येक आरोपी

को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

18- मामले में आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

19- आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

20- प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी तथा एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)